

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-05/2023 - 102 (स्वी)
सेवा में,

/यो0वि0, पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2025

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को मो0 1,47,24,924/- (एक करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार नौ सौ चौबीस) रुपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955 दिनांक-15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1141 दिनांक-23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा संविदा के आधार पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, Single Window Operator एवं Multi Purpose Assistant की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें एक Toll Free No., 4 PRI Line एवं एक Leased Line वर्तमान में कार्यरत है। साथ ही जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में अधिष्ठापित Telephone के विपत्रों के भुगतान किया जाता है।

5. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है, जिसके मानदेय का भुगतान संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी।

6. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन में अधिष्ठापित विद्युत उपकरणों पर होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान विद्युत मद की राशि से नियमानुसार की जायेगी।

7. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन एवं अन्य संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं उपलब्ध कराये गए राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत प्रत्यार्पित राशि को पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत आवंटन की मांग की गयी है।

8. विमुक्त की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

9. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या-35-योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष-2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

10. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार, प्रशिक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मत मद तथा संविदा सेवाएं मद में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी के नाम के संमुख

अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 1,47,24,924/- (एक करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार नौ सौ चौबीस) रुपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-01 मद का नाम- कार्यालय व्यय	विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-03 मद का नाम- दूरभाष	विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-04 मद का नाम- विद्युत प्रभार	विस्तृत शीर्ष-20 विषय शीर्ष-03 मद का नाम- प्रशिक्षण व्यय	विस्तृत शीर्ष-27 विषय शीर्ष-02 मद का नाम- अनुक्षण एवं मरम्मत मद	विस्तृत शीर्ष-28 विषय शीर्ष-02 मद का नाम- संविदा सेवाएँ	कुल आवंटित राशि
1	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	250000	250000
2	भमुआ (कैमुर)	0	10000	75000	0	0	0	85000
3	भोजपुर	800000	60000	100000	20000	0	300000	1280000
4	गया	0	0	300000	0	0	0	300000
5	किशनगंज	0	10000	0	0	0	0	10000
6	मुजफ्फरपुर	200000	0	0	0	0	0	200000
7	रोहतास	800000	0	0	0	0	200000	1000000
8	सहरसा	0	0	222155	0	0	428924	651079
9	शिवहर	0	0	750000	0	0	409228	1159228
10	शेखपुरा	0	5000	50000	0	0	200000	255000
11	सिवान	0	2500	400000	0	0	800000	1202500
12	वैशाली	0	0	350000	0	7982117	0	8332117
कुल		1800000	87500	2247155	20000	7982117	2588152	14724924

(एक करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार नौ सौ चौबीस रुपये)

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।
11. उक्त राशि की निकासी संबंधित विषय शीर्ष अन्तर्गत पूर्व निर्गत ओदश के अनुरूप ही खर्च होंगे। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य विषय शीर्ष के तहत नहीं किया जाएगा।
12. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं भुगतान के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

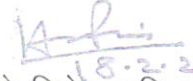
सरकार के विशेष सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

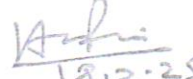

18.2.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

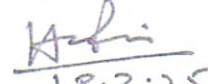

18.2.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

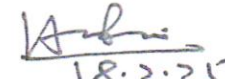

18.2.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023

/यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.2.25

सरकार के विशेष सचिव